फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री अर्जुन सिंह सोलंकी पिता श्री फतेह सिंह सोलंकी नि0 107, केवल कॉम्प्लेक्स नवागाम डिंडोली रोड़ उधना सुरत (गुजरात)

– **अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द – **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 77/2023**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 08.01.2024 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये क्रमांकः– एफ.1( )सू0अ0,05/2023/778–780 दिनांक 10.11.2023 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आर टी आई आवेदन के बिन्दु संख्या 03 से 04 तक की जो सूचना अपीलार्थी द्वारा चाही गयी है उक्त सूचना का संबंध इस कार्यालय से नहीं होकर उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ जिला राजसमन्द की होने से व बिन्दु संख्या 01 की प्रभारी सतर्कता अनुभाग से अपेक्षित होने से इस कार्यालय द्वारा अपीलार्थी का आरटीआई आवेदन कार्यालय के जरिये पत्रांक 681–683 दिनांक 14.09.2023 से संबंधित अनुभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3)(1)(2) में उपखण्ड कार्यालय कुंभलगढ़ जिला राजसमन्द को अन्तरण करते हुए जरिये डाक प्रेषित करते हुए प्रार्थी को भी प्रति पृष्ठांकित की जाकर जरिये डाक प्रेषित की गयी है तथा बिन्दु संख्या 02 में स्पष्ठ विवरण अंकित करने हेतु एवं बिन्दु संख्या 05 में तृतीय पक्ष से संबंधित सूचनाएं चाहने बाबत् प्रार्थी को जरिये पत्रांक 681–683 दिनांक 14.09.2023 से प्रार्थी को अवगत कराया गया, किन्तु आज दिनांक तक उक्त पत्र की पालना में प्रार्थी द्वारा कोई स्पष्ट विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग, कार्यालय हाजा राजसमन्द के पत्रांक 1993 दिनांक 3.10.2023 से इस कार्यालय को 01 पृष्ठ की सूचना उपलब्ध करवायी गयी है एवं बिन्दु संख्या 03 से 04 की सूचना इस कार्यालय की नहीं होकर उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ जिला राजसमन्द की होने से समयावधि में अन्रतण की जाकर प्रार्थी को सूचित किया गया। लोक सूचना अधिकारी	

न्यायालय जिला कलक्टर

Bullo

③

उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ द्वारा जरिये पत्र क्रमांकः सूचना का अधि.05/2023/1982 दिनांक 29.12.2023 से बिन्दु संख्या 03 से 04 की सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गयी है।

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द एवं लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द एवं लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार बिन्दु संख्या 01, 03 व 04 की सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गयी तथा बिन्दु संख्या 02 की वांछित सूचना अस्पष्ठ होने एवं बिन्दु संख्या 05 में तृतीय(पर) पक्ष से संबंधित हाने से उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द एवं लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद